न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : २१८/2023

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. सरजीत सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:–19.10.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय––   दिनांक :19.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 128/69 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 11, 13, 18/2, 19, 20, 21, 22 कुल 2.784 हैक्टेयर रकबा बारानी दर्ज हैं। जबकि उक्त रकबे का पानी बंधा हुआ है। सीसीए रिकॉर्ड में भी रकबा नहरी है। इसलिए प्रार्थी उक्त रकबे को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 128/69 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 11, 13, 18/2, 19, 20, 21, 22 कुल 2.784 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 626 दिनांक 29.03.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 में चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/2 की 0.216 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.253 हैक्टेयर कुल 2.784 हैक्टेयर भूमि सरजीत सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2008 वर्ष 1951–52 एंव सम्वत 2009 ता 2012 में चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2 ता 25 मस्तान सिंह पुत्र राम सिंह एंव सरदारा सिंह पुत्र भोला सिंह के नाम दर्ज थे। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राक 531 दिनांक 14.09.2022 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 44 का 11 बीघा 6 बिस्वा रकबा कमाण्ड एवं 12 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड है एंव चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2 के 18 बिस्वा, 3 के 15 बिस्वा, 8 के 12 बिस्वा, 9 के 15 बिस्वा, 11 के 10 बिस्वा, 13 के 15 बिस्वा, 18 के 15 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

19 के 17 बिस्वा, 20 के 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 12 बिस्वा रकबा दिनांक 01.04.1981 से स्थायी रूप से सीसीए में शामिल है। राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में भूमि आवंटन एंव विक्रय नियम) 1956 से पूर्व के आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4–7(7) उप–2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारो से अन्तरराशि वसूल योग्य नहीं है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 128/69 की प्रति, सीसीए चक प्लान 10 डब्ल्यू की छायाप्रति, चक 10 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2008 वर्ष 1951–52 के मुरब्बा नम्बर 44 की प्रति, चक 10 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2009 ता 2012 के मुरब्बा नम्बर 44 की छायाप्रति, चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 36 से मुरब्बा नम्बर 44 का मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 128/69 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 11, 13, 18/2, 19, 20, 21, 22 कुल 2.784 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। चक 10 डब्ल्यू के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 36 को मुरब्बा नम्बर 44 अंकित किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 में चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/2 की 0.216 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.253 हैक्टेयर कुल 2.784 हैक्टेयर भूमि सरजीत सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2008 वर्ष 1951–52 एंव सम्वत 2009 ता 2012 में चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2 ता 25 मस्तान सिंह पुत्र राम सिंह एंव सरदारा सिंह पुत्र भोला सिंह के नाम दर्ज थे। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राक 531 दिनांक 14.09.2022 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 44 का 11 बीघा 6 बिस्वा रकबा कमाण्ड एवं 12 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड है एंव चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2 के 18 बिस्वा, 3 के 15 बिस्वा, 8 के 12 बिस्वा, 9 के 15 बिस्वा, 11 के 10 बिस्वा, 13 के 15 बिस्वा, 18 के 15 बिस्वा, 19 के 17 बिस्वा, 20 के 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 12 बिस्वा रकबा दिनांक 01.04.1981 से स्थायी रूप से सीसीए में शामिल है। राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में भूमि आवंटन एंव विक्रय नियम) 1956 से पूर्व के आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4–7(7)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उप–2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारो से अन्तरराशि वसूल योग्य नहीं है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, जल संसाधन विभाग उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राक 531 दिनांक 14.09.2022, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 128/69 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.923 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सरजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए** मुकदमा नम्बर२१६/**2023**
निर्णय दिनांक :- 19.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 128/69 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.923 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 19.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/526
दिनांकः 19.10.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर